बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01–भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)–10 / 2023....2482 पटना, दिनांक:–10/06/2024

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 2516 दिनांक 16.12.2023 द्वारा श्री अभिषेक कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04595) के विरूद्ध दिनांक 17.07.2023 से प्रतिवेदित तिथि तक अनाधिकृत अनुपस्थित रहने एवं इनकी अनुपस्थिति के कारण सर्वेक्षण कार्य प्रभावित रहने का प्रतिवेदन देते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 16 दिनांक 03.01.2024 द्वारा श्री कुमार से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में भाई के पैर का ऑपरेशन होने एवं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा होने के कारण अनुपस्थित रहने का उल्लेख किया गया है। साथ ही अंकित किया गया है कि इसके लिए इनके द्वारा आकस्मिक अवकाश लिया गया था एवं दिनांक 22.12.2023 को बंदोबस्त कार्यालय में इनके द्वारा योगदान दे दिया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 1302 दिनांक 11.03.2024 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय से मंतव्य की मांग की गयी। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में अंकित किया है कि श्री कुमार दिनांक 22.12.2023 को योगदान देने के बाद प्रतिवेदित तिथि तक कार्य पर नहीं लौटे हैं, जिसके कारण विशेष सर्वेक्षण कार्य बाधित हो रहा है। फलस्वरूप श्री कुमार के संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पुनः निदेशालय पत्रांक 1904 दिनांक 22.04.2024 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें अंकित किया गया कि इनका स्वास्थ्य खराब था, जिसके कारण ये अनुपस्थित थे एवं पुनः दिनांक 25.04.2024 को इनके द्वारा योगदान कर लिया गया है। श्री कुमार द्वारा उक्त तिथि को योगदान स्वीकृत किए जाने के संबंध में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(मु0) के पत्रांक 723 दिनांक 27.04.2024 द्वारा मार्गदर्शन की मांग की गयी, जिसमें यह भी अंकित किया गया है कि श्री कुमार की कार्य उपलब्धि अत्यंत ही असंतोषप्रद है एवं ये आददतन बिना किसी पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं।

बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त प्रतिवेदन / अनुशंसा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों का अवलोकन किया गया है। अवलोकनोपरांत पाता हूँ कि पूर्व में किए गए स्पष्टीकरण के प्रतिउत्तर में श्री कुमार द्वारा भाई के पैर का ऑपरेशन एवं परीक्षा होने के कारण आकस्मिक अवकाश लेने का उल्लेख किया गया है एवं दिनांक 22.12.2023 को योगदान कर लेने की बात अंकित की गयी है, परन्तु अवकाश आवेदन किस माध्यम से दिया गया है एवं परीक्षा फार्म भरने हेतु नियंत्री पदाधिकारी से अनुमति ली गयी है अथवा नहीं के संबंध में न ही कोई उल्लेख किया गया है और न ही साक्ष्य दिया गया है। साथ ही योगदान देकर ये पुनः अनुपस्थित हो गये हैं एवं पुनः किए गए स्पष्टीकरण के प्रतिउत्तर में इनके द्वारा स्वयं के स्वास्थ्य खराब रहने का हवाला दिया गया।

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(मु0) द्वारा इनकी कार्य उपलब्धि अत्यन्त ही असंतोषप्रद एवं इनपर आद्दतन अपने कार्य से बिना किसी पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया है। साथ ही श्री कुमार के ऑनलाईन उपस्थिति पंजी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि इनके द्वारा वर्ष 2023 में मात्र 145 दिन एवं वर्ष 2024 में माह मई तक मात्र 02 दिन ही अपनी उपस्थिति दर्ज की गयी है, जो इनपर लगे आरोपों को प्रमाणित करता है। इन्हें जब–जब अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है, तब–तब ये जाकर योगदान कर लेते हैं एवं अनुपस्थिति के संबंध में नए–नए बहाने बनाते हैं एवं पुनः अनुपस्थित हो जाते हैं। इस तरह की मनमानी स्वीकार नहीं की जा सकती है। स्पष्ट है कि इनके द्वारा संविदा में बने रहने के लिए बहानेवाजी की जा रही है एवं इनका कृत मात्र आरोप से बचने का जुमला है।

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से ही विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है। इस उद्देश्य से सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी भी अवगत हैं, ऐसे में श्री कुमार द्वारा बार–बार बहाने बनाकर अनुपस्थित हो जाना इनके मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही को स्वतः परिलक्षित करता है। साथ ही इनके बार–बार अनुपस्थित रहने के कारण समयबद्ध कार्य बाधित हो रहा है। यदि इन्हें स्पष्टीकरण मुक्त कर दिया जाता है, तो इसका कुप्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत कार्यहित में इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही अंतिम विकल्प है।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के नियम 8(4) में वर्णित प्रावधान के तहत श्री अभिषेक कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04595) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 3/6/24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 01–भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)–10 / 2023 2482 **पटना, दिनांक** :– 10/06/2024

प्रतिलिपि :– श्री अभिषेक कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04595), बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 3/6/24
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 01–भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)–10 / 2023 2482 **पटना, दिनांक** : 10/06/2024

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 3/6/24
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 01–भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)–10 / 2023 2482 **पटना, दिनांक** : 10/06/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत इनकी व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 3/6/24
भू–अभिलेख एवं परिमाप